न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।

उपस्थितः रणजीत कुमार, (एच0जे0एस0)
जे0ओ0 कोड–यू.पी. 6509

विशेष सत्र परीक्षण सं0–31/2009

CNR No. UPJP010009012009

उ0प्र0 राज्य..... ..... **.....अभियोगी**

बनाम

1. मुख्तार पुत्र लाल मोहम्मद
2. रसूदी उर्फ रसीदुन पत्नी मुख्तार
3. गुड्डू पुत्र लाल मोहम्मद
4. जमील पुत्र लाल मोहम्मद
निवासीगण प्रेमापुर, थाना गौराबादशाहपुर, जिला जौनपुर।

.....अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–सी–746/2007
धारा–323/34, 325/34, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–गौराबादशाहपुर, जिला जौनपुर।

निर्णय

1. मु0अ0सं0 सी–746/2007, अंतर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना गौराबादशाहपुर, जिला जौनपुर के प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्तगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र सं0 01/2008, दिनांकित 16.01.2008 पर विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त प्रकरण सत्र सुपुर्द होने के पश्चात् विशेष सत्र परीक्षण सं0 31/2009, राज्य बनाम मुख्तार एवं अन्य में विचारण कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती निर्मला देवी द्वारा न्यायालय में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह जाति की धोबी है, उसके परिवार से मुख्तार, रसूदी, गुड्डू व जमील का जमीन सम्बन्धी विवाद चल रहा है, जो सी0के0ओ0 के यहां लम्बित है, जाति के नट हैं। वह व उसका लड़का हरिहर दिनांक 26.08.2007 को समय करीब 12 बजे दिन अपने आबादी की जमीन में घास काट रहे थे, मुकदमें की रंजिश में आकर मुख्तार, रसूदी, गुड्डू, जमील लाठी डण्डा व हसिया से लैस होकर एक राय होकर उसके लड़के धीरज को मारने लगे। छुड़ाने

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.11 16:47:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हेतु वह भी आई तो उसे भी पकड़कर उपरोक्त लोग मारने लगे, जिसमें धीरज को रसूदी ने हसिया से उसके गले में मारा, तो उसे काफी खून निकलने लगा तथा वह लहूलुहान हो गया, बाकी लाठी डण्डा से मारे, जिससे काफी चोटें आयीं। वादिनी मुकदमा को मुख्तार ने दांत से काट लिया तथा गुडडू ने उसकी अंगुली पकड़कर मरोड दिया तथा लाठी डण्डा से मारे पीटे, जिससे उसको व उसके लड़के धीरज को काफी चोटें आयी हैं। शोर सुनकर पास से गुजर रहे जगपत व हरिहर ने बीच बचाव किया, तब जाकर उसकी व उसके लड़के की जान बची। मुख्तार आदि मार–पीट कर जाते समय धमकी दिये कि इस धोबी साले को जान से मारकर खत्म करके यहां से भगा देना है। सदर अस्पताल जौनपुर आकर पहले अपनी चोटों का डॉक्टरी मुआयना व इलाज कराया। उसने थाना इलाका को इस घटना के बावत लिखित सूचना दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुख्तार आदि लोग जाति के नट हैं, वहां उस बस्ती में एक ही घर धोबी का है, जिसको हमेशा मुख्तार आदि परेशान करते हैं, तथा उत्पीड़ित करते रहते हैं। इलाका थाना पर कोई कार्यवाही न होने पर धटना की सूचना पुलिस अधीक्षक को दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

3. वादिनी मुकदमा श्रीमती निर्मला देवी के उक्त प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय आदेश दिनांकित 08.10.2007 के अनुक्रम में थाना गौराबादशाहपुर पर अभियुक्तगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील के विरूद्ध मु0अ0सं0 सी–746/2007 धारा 323, 325, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ।

4. प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा वादी व गवाहान के बयान लिये गये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील के विरूद्ध धारा 323, 325, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5. धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन के उपरान्त प्रकरण अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण दिनांक 21.03.2009 को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, जौनपुर द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया और सत्र सुपुर्द होने के पश्चात् प्रकरण विशेष सत्र परीक्षण संख्या 31/2009 स्टेट बनाम मुख्तार एवं अन्य के रूप में पंजीकृत हुआ।

6. न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2009 को अभियुक्तगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील के विरूद्ध धारा 323/34, 325/34, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया एवं विचारण की मांग की गई।

7. विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं–

साक्षी क्रमांक	**साक्षी नाम**	**साक्षी का विवरण**
पी0डब्लू0–1	धीरज	तथ्य/चोटहिल साक्षी

पी0डब्लू0–2	श्रीमती निर्मला	तथ्य/चोटहिल साक्षी
पी0डब्लू0–3	डॉ0 सतीश सिंह	चिकित्सक साक्षी
पी0डब्लू0–4	अनिल कुमार त्रिपाठी	चिकित्सक साक्षी
पी0डब्लू0–5	हेड कां0 रामआशीष यादव	औपचारिक साक्षी

8. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र साबित कराये गये हैं–

प्रदर्श– क्रमांक	**विवरण**	**साबितकर्ता साक्षी**
प्रदर्श क–1	प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0	पी0डब्लू0–2
प्रदर्श क–2	शपथपत्र	पी0डब्लू0–2
प्रदर्श क–3	इंजरी रिपोर्ट चोटहिल धीरज	पी0डब्लू0–3
प्रदर्श क–4	इंजरी रिपोर्ट चोटहिल निर्मला देवी	पी0डब्लू0–3
प्रदर्श क–5	एक्सरे रिपोर्ट निर्मला	पी0डब्लू0–4
प्रदर्श क–6	चिक एफ0आई0आर0	पी0डब्लू0–5
प्रदर्श–क–7	कायमी जी0डी0 कार्बन प्रति	पी0डब्लू0–5
प्रदर्श–क–8	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–5
प्रदर्श–क–9	आरोप पत्र	पी0डब्लू0–5

9. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित वस्तु प्रदर्श दाखिल किया गया है–

वस्तु प्रदर्श	**विवरण**	**साबितकर्ता**
वस्तु प्रदर्श–1	एक्सरे फिल्म	पी0डब्लू0–4

10. दिनांक 31.01.2026 को अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को असत्य बताते हुए विवेचक द्वारा गलत आरोप पत्र प्रेषित किया जाना बताया, और अभियोजन साक्षी सं0 1 लगायत 3 एवं अभियोजन साक्षी सं0 5 द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया, और अभियोजन साक्षी सं0 4 द्वारा गलत ढंग से प्रपत्र साबित किया जाना बताया, और अभियोजन साक्षी सं0 6 द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया, और अभियोजन साक्षी सं0 7 द्वारा फर्जी ढंग से आघात आख्या तैयार किया जाना बताया, और मुकदमा रंजिशन चलना बताया, सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं।

11. विचारण के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं–

साक्षी क्रमांक	**साक्षी नाम**
डी0डब्लू0–1	सीमा देवी
डी0डब्लू0–2	सुशीला

12. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने वास्ते आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व होता है।

13. उक्त दायित्व निर्वहन के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–1 धीरज ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 03.09.2009 में कथन किया है कि घटना हुए आज से दो वर्ष से ज्यादा हुआ। समय 12.00 बजे दिन का था। उसकी माँ चरी के खेत में घास काट रही थी। उसकी माँ के पास हरिहर भी घास काट रहे थे। वह भी बगल में घास काटकर आया था। बबूल के नीचे छांव में बैठ गया था। जहाँ उसकी माँ घास काट रही थी। एक सड़क चमराही की ओर जाती है। वहीं रशीदुन मुल्जिम की मडही है। उसी मडही के दक्षिण सड़क के बगल में झगड़ा हुआ था। वहीं उसको मारा था। मुख्तार, रशीदुन, जो मुख्तार की पत्नी है, गुड्डू व जमील मारे थे। उसे रशीदुन ने हसिया से मारा था। जो गले के पास लगी थी और लोग लाठी–डंडे से मारे थे। मुल्जिमान ने उसकी माँ को भी लाठी–डंडे से मारा था। घटना को हरिहर, जगपत व जोगिंदर ने देखा था। घटना के बाद उसकी माँ उसे सदर अस्पताल ले गयी, जहाँ उसका व उसकी माँ का डाक्टरी मुआयना हुआ था। उसकी माँ का एक्स–रे भी हुआ था। इसके बाद उसकी माँ घटना की रिपोर्ट किया। पुलिस वाले जाँच करने आए थे। पूछ–ताछ किये थे, जहाँ मारे गये थे, वह स्थान बता दिये थे। वह जाति का धोबी है, जो अनुसूचित जाति का है। मुल्जिमान नट मुसलमान है जो अनुसूचित जाति के नहीं हैं। इन लोगों ने कहा कि धोबी को मारकर यहाँ से भगा देंगे।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य चोटहिल साक्षी/वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–2 निर्मला ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 06.02.2010 में कथन किया है कि वह जाति की धोबी है। उसे रशीदुन, मुख्तार, गुड्डू, जमील ने मारा था। ये लोग हरिजन नहीं हैं, जो कि नट है। उनसे उसका जमीन का विवाद चल रहा है। आज से करीब तीन साल पहले 26 अगस्त की तारीख थी। समय 11–12 के बीच की घटना है। मुख्तार का लड़का घास काट रहा था। उसका लड़का धीरज मना करने गया। वह भी खेत में घास काट रही थी। धीरज के मना करने पर मुख्तार की औरत रशीदुन उसके लड़के धीरज को हसिया से मारा। उसे चोट लगी, वह रोने लगा। तो आवाज सुनकर वह गयी तो उसे सब लोग मारने लगे। एक लोग हसिया एवं बाकी लोग लाठी–डंडा लिये हुए थे। उसकी उंगली गुड्डू ने ऐंठ दी थी, जिससे उसकी अंगुली की हड्डी टूट गयी थी। मुख्तार ने उसके हाथ में दाँत से काट लिया था। उस व उसके लड़के को मारते हुए जगपत व हरिहर व तमाम लोगों ने देखा था। यह लोग पोखरी के सुन्दरीकरण का कार्य कर रहे थे। मारपीट के बाद सदर अस्पताल जौनपुर में डॉक्टरी कराने आये। वहां पर दोनों लोगों की डॉक्टरी हुयी। फिर मेडिकल कराने के बाद थाने गयी। थाने में कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को प्रार्थनापत्र दिया। मगर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर कचहरी आकर वकील से बोलकर प्रार्थनापत्र लिखाया तथा मुआयना कराया। जो उसने वकील को बोला व बतायाथा, वैसे ही उसने लिखा था, और पढ़कर उसे सुनाया था, फिर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को देखकर साक्षी ने अपने निशानी अंगूठा की शिनाख्त की और प्रदर्श–क–1 के रूप में साबित किया। इसके समर्थन में शपथपत्र दिया था, जिसे देखकर साक्षी ने प्रदर्श–क–2 के रूप में साबित किया।

पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को भेजे गये रजिस्ट्री की रसीद भी दाखिल है। पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र का0सं0 11क/1 व 11क/2 तथा रसीद 12क के रूप में है। मुकदमा कायम होने के बाद पुलिस वाले जांच के लिए आये थे। उन्होने मौके देखा था तथा बयान लिखा था। उसकी अंगुली का एक्सरे भी हुआ था।

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0–3 डॉ0 सतीश सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 26.08.2007 को वह बहैसियत चिकित्साधिकारी जिला जौनपुर में तैनात था। उस दिन उसकी ड्यूटी इमरजेंसी कक्ष में थी। उस दिन समय 02.30 अपराह्न मजरूब धीरज, जिसको उसके पिता द्वारा चोटहिल अवस्था में उसके समक्ष मुआयना हेतु प्रस्तुत किया गया था। बरवक्त मुआयना पर उसके शरीर पर निम्न चोटे पाई गयी। पहचान के चिन्ह काला तिल गर्दन के दाहिने साइड दाहिने कान के 1.5सेमी पीछे।

चोट सं0 1–खरांश का निशान 2.5 सेमी0 X 0.5 सेमी० बांये फेस पर बायें कान से 2 सेमी० नीचे। चोट सं0 2–नीलगू निशान रेडिश कलर 9 सेमी X 2 सेमी0 बैक ऑफ चेस्ट पर बाये स्केपुला पर मौजूद।

चोट सं0 3– नीलगू निशान रेडिश 7 सेमी0 X 2 सेमी० दाहिने बैक ऑफ चेस्ट स्केपुला पर मौजूद।

सभी चोटे साधारण किस्म की थी। किसी कुंदआला आब्जेक्ट द्वारा पहुँचायी गयी थी। चोट नं०–02 व कुंदआलो से व चोट नं०–01 सख्त सर्फेस या आब्जेक्ट से आयी थी। सभी चोटें छः घंटे के आसपास की थी।

उसी दिन अपराह्न में तीन बजे मजरूबा निर्मला को उसके पति द्वारा मेडिकल मुआयना हेतु लाया गया था। उसके शरीर पर निम्न चोटे आयी थी। काला तिल गर्दन के बांये तरफ निचले भाग पर बांये पसली की हड्डी से 06 सेमी० ऊपर।

चोट सं०–01– कांट्यूजन 4 सेमी0 X 4 सेमी० विथ खराश के निशान चोट के बाहरी हिस्से पर जो कि दाहिने फोरआर्म पर दाहिने केहुनी से 07 सेमी० नीचे।

चोट सं०–02– कांट्यूजन 3 सेमी X 2 सेमी० दाहिने इंडेक्स फिंगर के पृष्ठ भाग पर प्राक्सिमल आईआर ज्वाइंट पर मौजूद था, इसको निगरानी में रखा गया था और एक्स–रे की सलाह दी गयी थी।

साक्षी की राय में चोट नं०–02 को निगरानी में रखकर सलाह दी गयी थी। चोट सं०–01 साधारण किस्म की थी। सारी चोटें हार्ड और ब्लंट आब्जेक्ट से पहुँचायी गयी थी। सभी चोटें छः घंटे के आस–पास की थी, ताजा थी।

जो आघात आख्या नीरज व निर्मला का साक्षी ने तैयार किया था, उसने न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उस पर क्षेत्राधिकारी केराकत ने विवेचना के दौरान उससे बयान लिया था। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध चोटहिलों की आघात आख्या को देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और प्रदर्श–क–3 व प्रदर्श–क–4 के रूप में साबित किया।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–4 अनिल कुमार त्रिपाठी, एक्सरे टेक्नीशियन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह जिला चिकित्सालय में डॉ० ए०के० मिश्रा के साथ कार्यरत वर्ष 2007 में एक्स–रे टेक्नीशियन के पद

पर था। उस समय डॉ ए०के मिश्रा द्वारा एक्स–रे का कार्य किया जा रहा था। दिनांक 27.08. 2007 को निर्मला को एक्स–रे हेतु डॉ० एस सिंह द्वारा रेफर किये जाने पर उनका एक्स–रे हुआ था। जिसका उल्लेख पंजिका दिनांकित 13.08.2007 से दिनांक 07.09.2007 तक में अंकित है, जिसे वह अपने साथ लाया है, जिसमें पृष्ठांकन अंकित है। पृष्ठ सं०–58 पर चोटहिल निर्मला देवी का एक्स–रे, जो डॉक्टर साहब ने किया था, उसका उल्लेख अंकित है, जिसमें डॉ ए०के मिश्रा ने निर्मला देवी के बांये हाथ की अंगुली में फ्रैक्चर होना अंकित किया है। पृष्ठ सं०–58 की कार्बन कापी की मूलप्रति पत्रावली में संलग्न का०सं०–8क/4 से मिलान करने पर उसकी पूर्ण समानता है तथा डॉ ए०के मिश्रा के साथ काम करने के आधार पर वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। पत्रावली में संलग्न एक्सरे रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने डॉ० ए०के मिश्रा के लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया। एक्स–रे प्लेट को देखकर साक्षी ने उसकी शिनाख्त किया, जिस पर प्रदर्श –01 डाला गया।

17. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–5 हेड कां0 रामआशीष यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह वर्ष 2007 में थाना गौराबादशाहपुर में कां0 मोहर्रिर के पद पर तैनात था। वादी मुकदमा निर्मला देवी के प्रार्थनापत्र–156(3) सी०आर०पी०सी पर पारित आदेश दिनांकित 08.10.2007 के अनुपालन में उसने मु०अ०सं०–746/2007, धारा–323, 504, 506, 325 भा0दं0सं0 व 3(1)(x) एस०सी0/एस०टी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसके आधार पर एस०ओ० गौराबादशाहपुर ने उसे एफ०आई०आर पंजीकृत करने का आदेश दिया था और आदेश के अनुक्रम में उपरोक्त एफ०आई०आर अंकित किया है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिसे तैयार करने के बाद उसने तत्कालीन एस०ओ को दिखाया तथा उसके आधार पर उक्त अपराध संख्या की जीडी तैयार किया गया है, जिसकी कार्बन कापी पत्रावली में संलग्न है। उक्त अपराध संख्या की चिक को देखकर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया। उक्त मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात् कां0 मोहर्रिर शैलेंद्र सिंह द्वारा उसकी जीडी तैयार की गयी थी। शैलेंद्र सिंह उसके साथ कार्यरत थे। वह उनके लेख हस्ताक्षर को जानता–पहचानता है, उनको उसने लिखते–पढ़ते देखा है। साक्षी ने उक्त जीडी को देखकर उनके लेख–हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, और प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया। उक्त अपराध संख्या में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी केराकत सीताराम द्वारा विवेचना की गयी थी। विवेचना के क्रम में उन्होंने घटना स्थल की नक्शा नजरी तैयार किया था, जो पत्रावली में संलग्न का०सं०–5क/1 है, जिसे देखकर साक्षी ने क्षेत्राधिकारी सीताराम के लेख व लघु हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, और प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया। विवेचना के क्रम में सीओ केराकत ने अभियुक्तगण मुख्तार, रशीदी उर्फ रशीदुन, गुड्डू व जमील के विरूद्ध धारा–323, 504, 506, 325 भा०दं०सं० व 3(1) (x) एस०सी०/एस०टी० में आरोप–पत्र प्रेषित किया है, जिस पर उनके लघु हस्ताक्षर अंकित हैं तथा उस पर दिनांक 16.01.2008 अंकित है। वह सीओ केराकत के यहाँ थाने संबंधी प्रपत्रों को हस्ताक्षर हेतु ले जाता रहा तथा उनका थाने पर भी आना–जाना होता था, जिसके आधार पर वह उनके लेख हस्ताक्षर को जानता–पहचानता है। साक्षी ने उक्त आरोप को देखकर सी0ओ0 केराकत के लेख व हस्ताक्षर

की शिनाख्त किया और प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया। उक्त एफ०आई०आर जो मैंने अंकित किया था, उसके संदर्भ में सीओ साहब ने मेरा बयान लिया।

18. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी डी0डब्लू0 1 सीमा देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 26.08.2007 को लगभग 12 बजे वह अपने खेत में घास काट रही थी कि देखा कि निर्मला देवी जबरदस्ती रसीदुन की आबादी में घास काटने लगी। रसीदुन ने कहा कि हमारे दरवाजे पर घास मत काटो। कहा सुनी पर वह भी वहाँ पर पहुँच गयी थी, तो देखा कि वहाँ पर निर्मला देवी घास काटने की बात को लेकर कहा सुनी कर रही थी। वहाँ पर गुड्डू, जमील नहीं थे। रसीदुल ने कहा कि मेरे पास भी जानवर हैं, इसलिये घास दरवाजे पर रखी हूँ। निर्मला ने धमकी दिया कि जा रहे हैं, कोर्ट से तुम्हारे खिलाफ फर्जी मुकदमा करवा देंगे और एस०सी/एस० टी० में फंसवा देंगे और वहाँ पर मुख्तार, रसीदुल, गुड्डू, जमील ने कोई गाली गुफ्ता नहीं दिया था, न ही कोई मारपीट हुई थी, न ही जान से मारने की धमकी दिया था व न ही जातिसूचक शब्दों की गाली दिया था। निर्मला व निर्मला के पति मुन्नीलाल मनबढ़ किस्म के व्यक्ति हैं, जो कई मुकदमा करके कई लोगों को फंसाये हैं। मुकदमा करके दूसरों को फंसा करके केवल पैसे की वसूली करते हैं। कहासुनी होते समय हरिहर, जगपत, रविंदर, योगेंदर भी पहुँचे थे। दरोगा जी ने उसका बयान घटना के समय लिया था।

19. डी0डब्लू0 2 सुशीला ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 05.01.2026 में सशपथ कथन किया है कि आज से 18 साल हुआ, दिन की बेला था, वह अपने दरवाजे पर बैठी थी, देखा कि निर्मला पत्नी मुन्नीलाल, रसीदुन की आबादी में घास काट रही थी, रसीदुन ने घास काटने से निर्मला को मना किया कि मेरी आबादी में घास मत काटिये, कहासुनी हो रही थी। शोर सुनकर वह भी पहुंची तो देखा कि निर्मला ने रसीदुन, गुड्डू, जमीन, मुख्तार को देख लेने की धमकी दे रही थी कि घास नहीं काटने दोगी तो एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के मुकदमें में फंसा दूंगी, जिससे तुम लोगों का जीवन बर्बाद हो जायेगा। मौके पर रसीदुन, गुड्डू, जमीन, मुख्तार ने न तो गाली गुप्ता दिया था, न ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। कहासुनी हो रही थी, तो सीमा देवी पत्नी जीतलाल भी पहुंची थी। दरोगाजी ने उससे पूछताछ किया था।

20. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

21. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत उपरोक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित है कि अभियुक्तगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा निर्मला एवं उसके लड़के धीरज को लाठी डण्डा आदि से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने लाठी डण्डा से वादिनी मुकदमा को मार–पीट कर गंभीर उपहति कारित की है, जिससे उसके बायें हाथ की अंगुली टूट गयी। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा एवं उसके लड़के को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया जाना तथा अनुसूचित जाति के वादिनी मुकदमा एवं उसके लड़के का अपमान करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर साशय

अपमानित किया जाना भी स्थापित है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित समस्त आरोप साबित होने के दृष्टिगत उन्हें दोषसिद्ध किया जावे।

22. उक्त के विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप कत्तई साबित नहीं होता है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास हैं, जिस कारण कोई भी साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, परीक्षित साक्षीगण हितबद्ध हैं, जिस तथ्य के दृष्टिगत भी अभियोजन कथानक पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि अभियोजन साक्ष्य विश्वसनीय न होने के दृष्टिगत समस्त अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

निष्कर्ष

23. प्रस्तुत सत्र परीक्षण के निर्णयन हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दुओं पर निष्कर्ष दिया जाना है–

(i) क्या अभियुक्तगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा एवं उसके लड़के को लाठी–डण्डा व हसिया से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई?

(ii) क्या अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा को लाठी–डण्डा व हसिया से मार–पीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की गई?

(iii) क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा एवं उसके लड़के को भद्दी–भद्दी गाली देकर प्रकोपित किया गया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया?

(iv) क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, का अपमान करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर साशय अपमानित किया गया?

अवधार्य बिन्दु सं0 (i) व ;पपद्ध का निस्तारण–

24. अवधार्य बिन्दु सं0 (i), (ii) का निस्तारण सुविधा के दृष्टिकोण से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से एक साथ किया जा रहा है।

25. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा निर्मला देवी एवं उसके लड़के धीरज को लाठी डण्डा आदि से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने एवं वादिनी मुकदमा को घोर उपहति कारित किये जाने के संबंध में हैं।

26. इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रदर्श–क–1 में यह तथ्य आया है कि वह व उसका लड़का हरिहर दिनांक 26.08.2007 को समय करीब 12 बजे दिन अपने आबादी की जमीन में घास काट रहे थे, मुकदमें की रंजिश में आकर मुख्तार, रसूदी, गुड्डू, जमीन लाठी डण्डा व हसिया से लैस होकर एक राय होकर उसके लड़के धीरज

को मारने लगे। छुड़ाने हेतु वह भी आई तो उसे भी पकड़कर उपरोक्त लोग मारने लगे, जिसमें धीरज को रसूदी ने हसिया से उसके गले में मारा, तो उसे काफी खून निकलने लगा तथा वह लहूलुहान हो गया, बाकी लाठी डण्डा से मारे, जिससे काफी चोटें आयीं। वादिनी मुकदमा को मुख्तार ने दांत से काट लिया तथा गुडडू ने उसकी अंगुली पकड़कर मरोड दिया तथा लाठी डण्डा से मारे पीटे, जिससे उसको व उसके लड़के धीरज को काफी चोटें आयी हैं।

27. इस सम्बन्ध में चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–1 धीरज द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना के समय उसकी माँ चरी के खेत में घास काट रही थी। उसकी माँ के पास हरिहर भी घास काट रहे थे। वह भी बगल में घास काटकर आया था। बबूल के नीचे छांव में बैठ गया था। जहाँ उसकी माँ घास काट रही थी। यह भी कहा है कि मुख्तार, रशीदुन, जो मुख्तार की पत्नी है, गुड्डू व जमील मारे थे। उसे रशीदुन ने हसिया से मारा था। जो गले के पास लगी थी और लोग लाठी–डंडे से मारे थे। मुल्जिमान ने उसकी माँ को भी लाठी–डंडे से मारा था। घटना के बाद उसकी माँ उसे सदर अस्पताल ले गयी, जहाँ उसका व उसकी माँ का डाक्टरी मुआयना हुआ था। उसकी माँ का एक्स–रे भी हुआ था।

28. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे हसिया की केवल एक चोट लगी थी, मुख्तार उसे कितनी लाठी मारे थे, उसने गिना नहीं था। गुड्डू व जमील ने उसे कितनी लाठी मारे थे, नहीं बता सकता।

29. इस सम्बन्ध में अन्य चोटहिल साक्षी/वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–2 श्रीमती निर्मला देवी द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि उसे रशीदुन, मुख्तार, गुड्डू, जमील ने मारा था। यह भी कहा है कि मुख्तार का लड़का घास काट रहा था। उसका लड़का धीरज मना करने गया। वह भी खेत में घास काट रही थी। धीरज के मना करने पर मुख्तार की औरत रशीदुन उसके लड़के धीरज को हसिया से मारा। उसे चोट लगी, वह रोने लगा। तो आवाज सुनकर वह गयी तो उसे सब लोग मारने लगे। एक लोग हसिया एवं बाकी लोग लाठी–डंडा लिये हुए थे। उसकी उंगली गुड्डू ने ऐंठ दी थी, जिससे उसकी अंगुली की हड्डी टूट गयी थी।

30. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने यह कथन किया है कि यह झगड़ा करीब एक घण्टे तक हुआ था। उसे सब लाठी डण्डा से मारे थे। मुख्तार ने कितनी लाठी मारा था, वह नहीं बता सकती। उसे सभी लोगों ने मारा था।

31. चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–1 व वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–2 चोटहिल साक्षीगण हैं। चोटहिल साक्षी के सम्बन्ध में विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि ऐसे साक्षी के साक्ष्य का विशेष महत्व होता है और सामान्यतः चोटहिल के कथन बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति निश्चित है। इस सन्दर्भ में विधि निर्णय **उ0प्र0 राज्य बनाम नरेश एवं अन्य 2011 (2) ए0सी0आर0 1190 (एस0सी0)** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि चोटग्रस्त साक्षी के साक्ष्य को सम्यक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक मुद्रांकित गवाह है और उसकी उपस्थित संदिग्ध नहीं मानी जा सकती। ऐसे साक्षी का कथन आमतौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, और यह असंभाव्य है कि किसी और को फंसाने के लिए उसने वास्तविक आक्रमणकारी को बख्श

दिया है। चोटहिल साक्षी के अभिसाक्ष्य की अपनी प्रासंगिकता होती है, अपना प्रभाव होता है, क्योंकि उसे घटनास्थल पर घटना के समय चोटें आई हैं, जो उसके इस कथन का समर्थन करता है कि वह घटना के समय मौजूद था। इसलिए चोटहिल साक्षी के अभिसाक्ष्य का कानून में एक विशेष दर्जा है, अतः चोटहिल साक्षी के साक्ष्य पर भरोसा करना चाहिए, जब तक कि तात्विक विरोधाभास एवं विसंगतियों के आधार पर उसका साक्ष्य अस्वीकार योग्य न हो।

32. चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–1 व वादिनी मुकदमा/चोटहिल पी0डब्लू0–2 ने अपने बयान में अभियुक्तगण द्वारा उनको लाठी डण्डा आदि से मारा–पीटा जाना कहा है। अभियोजन साक्षीगण से बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे साक्षीगण की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिन्ह उठता हो। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है चोटहिल साक्षी के सम्बन्ध में विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि ऐसे साक्षी मुद्रांकित साक्षी होते हैं, जिनकी घटनास्थल पर उपस्थिति स्थापित मानी जाती है। वर्तमान मामले में भी चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–1 व वादिनी मुकदमा/चोटहिल पी0डब्लू0–2 की घटना के समय घ ाटनास्थल पर उपस्थिति स्थापित है। साक्षीगण के कथनानुसार अभियुक्तगण उनके गांव के हैं, और अभियुक्तगण को साक्षीगण पूर्व से ही भली–भाँति जानते हैं, ऐसे में अभियुक्तगण की पहचान भी सुनिश्चित है।

33. चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0–3 डॉ0 सतीश सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 26.08.2007 को मजरूब धीरज का डॉक्टरी मुआयना किया जाना कहा गया है, जिसके अनुसार चोटहिल को निम्न चोटें थी–

चोट सं0 1–खरांश का निशान 2.5 सेमी0 X 0.5 सेमी० बांये फेस पर बायें कान से 2 सेमी० नीचे। चोट सं0 2–नीलगू निशान रेडिश कलर 9 सेमी X 2 सेमी0 बैक ऑफ चेस्ट पर बाये स्केपुला पर मौजूद।

चोट सं0 3– नीलगू निशान रेडिश 7 सेमी0 X 2 सेमी० दाहिने बैक ऑफ चेस्ट स्केपुला पर मौजूद।

चिकित्सक की राय में सभी चोटे साधारण किस्म की थी, और किसी कुंदआला आब्जेक्ट द्वारा पहुँचायी गयी थी। चोट नं०–02 व कुंदआलो से व चोट नं०–01 सख्त सर्फेस या आब्जेक्ट से आयी थी। सभी चोटें छः घंटे के आसपास की थी।

साक्षी ने उसी दिन अपराह्न में तीन बजे मजरूबा श्रीमती निर्मला का भी डॉक्टरी मुआयना किया जाना कहा है, जिसके अनुसार चोटहिल को निम्न चोटें आई थी–

चोट सं०–01– कांट्यूजन 4 सेमी0 X 4 सेमी० विथ खराश के निशान चोट के बाहरी हिस्से पर जो कि दाहिने फोरआर्म पर दाहिने केहुनी से 07 सेमी० नीचे।

चोट सं०–02– कांट्यूजन 3 सेमी X 2 सेमी० दाहिने इंडेक्स फिंगर के पृष्ठ भाग पर प्राक्सिमल आईआर ज्वाइंट पर मौजूद था, इसको निगरानी में रखा गया था और एक्स–रे की सलाह दी गयी थी।

साक्षी की राय में चोट नं०–02 को निगरानी में रखकर सलाह दी गयी थी। चोट सं०–01 साधारण किस्म की थी। सारी चोटें हार्ड और ब्लंट आब्जेक्ट से पहुँचायी गयी थी। सभी चोटें छः घंटे के आस–पास की थी, ताजा थी।

34. चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू–3 डॉ0 सतीश सिंह द्वारा उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श–क–3 व प्रदर्श–क–4 के रूप में साबित किया गया है। इस प्रकार

चिकित्सक साक्षी अनुसार चोटहिल धीरज को कुल तीन चोटें आई थी, तथा चोटहिल श्रीमती निर्मला देवी को कुल दो चोटें आईं थी, तथा चोट सं0 2 को जेरे निगरानी रखकर एक्सरे की सलाह दी गयी थी। चोटहिलगण का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 26.08.2007 को अर्थात् घटना के ही दिन किया गया है, तथा चिकित्सक की राय में चोटों की अवधि लगभग छः घण्टे के आस–पास की होना बतायी गयी है। इस प्रकार चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि घटना के समय वादिनी मुकदमा एवं उपरोक्त अन्य चोटहिल के शरीर पर चोटें कारित की गयी हैं, जिससे अभियोजन कथानक सम्पुष्ट होता है।

35. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–4 अनिल कुमार त्रिपाठी, एक्सरे टेक्नीशियन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि दिनांक 27.08.2007 को श्रीमती निर्मला का एक्सरे डॉ0 ए0 के0 मिश्रा द्वारा किया गया था, जिन्होने एक्सरे रिपोर्ट में निर्मला देवी के बायें हाथ की अंगुली में फ्रैक्चर होना उल्लिखित किया है। चिकित्सक साक्षी द्वारा उक्त चोटहिल की एक्सरे रिपोर्ट को प्रदर्श–क–5 के रूप में साबित किया गया है।

36. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के चोटहिल द्वारा अपने सशपथ बयान में अभियुक्तगण द्वारा उसे तथा उसकी मां को लाठी डण्डा से चोटें पहुंचाये जाने का कथन किया गया है, तथा यह भी कथन किया है कि अभियुक्तगण ने उसकी उंगली गुड्डू ने ऐंठ दी थी, जिससे उसकी अंगुली की हड्डी टूट गयी थी। उक्त आशय के कथन घटना के समय मौजूद अन्य चोटहिल साक्षी/वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–2 श्रीमती निर्मला द्वारा भी अपने बयान में किये गये हैं, जिससे भी अभियोजन कथानक को समर्थन मिलता है, तथा यह स्थापित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा की गयी मार–पीट से चोटहिलगण को चोटें आई हैं। चोटहिल साक्षीगण द्वारा अपने बयानों में किये गये कथनों की पुष्टि इंजरी रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट से भी होती है, तथा यह स्थापित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा एवं उसके लड़के धीरज के साथ की गयी मार–पीट से ही चोटहिलों को चोटें आई हैं, तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी मार–पीट से वादिनी मुकदमा के हाथ की हड्डी टूट गयी थी।

37. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि साक्षीगण के बयानों में काफी विरोधाभास हैं, घ ाटना के सम्बन्ध में उनके द्वारा बढ़ा–चढ़ाकर कथन किया गया है, जिस कारण अभियोजन साक्षीगण विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं, और अविश्वसनीय साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर घटना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और घटना संदेहास्पद हो जाती है। बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है, क्योंकि साक्षी के कथनों में मामूली विरोधाभास स्वाभाविक है। जब घ ाटना के काफी समय पश्चात् साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित होता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, तब न तो यह अप्राकृतिक है और न ही अप्रत्याशित है कि अभियोजन साक्षी के कथनों में मामूली अंतर आ सकते हैं।

38. उक्त के सन्दर्भ में **विधि निर्णय रमेश बनाम उ0प्र0 राज्य (2009) 15 एस0सी0सी0 513** सुसंगत है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन साक्षी के अभिसाक्ष्य में मामूली विरोधाभास होंगे ही, और वास्तव में ऐसे विरोधाभास साक्षी की सत्यवादिता का समर्थन करते हैं।

39. इसी प्रकार एक अन्य विधि निर्णय **उ0प्र0 राज्य बनाम नरेश एवं अन्य 2011 (2) ए0सी0आर0 1190 (एस0सी0)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि सभी आपराधिक मामलों में साक्षी के प्रेक्षण में साधारण त्रुटियों, अर्थात् समय व्यतीत होने

के कारण याददाश्त में त्रुटि अथवा घटना के समय सदमा अथवा आतंक की मनोस्थिति के कारण साक्षी के साक्ष्य में साधारण विसंगतियाँ होंगी ही।

40. माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के दृष्टिगत चोटहिल साक्षीगण के बयानों में सूक्ष्म विरोधाभास होने मात्र के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त चोटहिल साक्षीगण के साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है, जो भी विरोधभास हैं, वे बहुत ही मामूली एवं सूक्ष्म प्रकृति के हैं, जिससे चोटहिल साक्षीगण की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिन्ह उत्पन्न नहीं होता है।

41. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से चोटहिल साक्षीगण के अलावा आस–पड़ोस के किसी व्यक्ति अथवा अन्य स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि हितबद्ध साक्षीगण के साक्ष्य पर पूर्णरूपेण विश्वास नहीं किया जा सकता है, और उक्त साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक स्थापित नहीं माना जा सकता है।

42. हितबद्ध साक्षीगण के सम्बन्ध में **विधि व्यवस्था आन्ध्रप्रदेश राज्य प्रति एस0 रायप्पा 2006 (54) ए0सी0सी0 पृष्ठ 828 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह अवधारित किया गया है कि किसी भी आपराधिक विचारण में संबंधी साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय होता है और उसे पक्षधर साक्षी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में आज कल सामान्य जन में साक्षी बनने के प्रति उदासीनता होती है, और ऐसी स्थिति में एक निकट संबंधी ही एक स्वाभाविक साक्षी है। आवश्यकता केवल उसके साक्ष्य की सतर्कता से समीक्षा करने की है।

43. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से दो साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जो चोटहिल साक्षीगण है, जिनके साथ घटना घटित हुई है, और जिनकी घटनास्थल पर उपस्थिति स्थापित है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण स्वाभाविक साक्षीगण हैं। जहां तक बचाव पक्ष का आस–पड़ोस के किसी व्यक्ति अथवा स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित न कराये जाने का तर्क है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आज के सामाजिक परिवेश में सामान्य जन में साक्षी बनने के प्रति उदासीनता होती है। ऐसे में किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराये जाने से अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है।

44. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण डी0डब्लू0–1 व डी0डब्लू0–2 ने वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण को एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के मुकदमें में फंसाने की धमकी दिये जाने तथा अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार की घटना कारित न किये जाने का कथन किया है, ऐसे में अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है।

45. बचाव पक्ष के उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है क्योंकि अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन साक्षीगण, जो चोटहिल हैं, की उपस्थिति घटनास्थल स्थापित है, और अभियोजन साक्षीगण के ठोस एवं पूर्णरूपेण विश्वसनीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित हुआ है, और अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना स्थापित हुआ है। ऐसे में बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से बचाव पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है।

46. उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील द्वारा वादिनी मुकदमा एवं उसके लड़के को लाठी डण्डा से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं वादिनी मुकदमा को घोर उपहति कारित करने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34, 325/34 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं0 (i) व (ii) निस्तारित किये जाते हैं।

<u>अवधार्य बिन्दु सं0 (iii) का निस्तारण–</u>

47. यह अवधार्य बिन्दु अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा एवं उसके लड़के को भद्दी–भद्दी गालियाँ देकर प्रकोपित किये जाने एवं भयाक्रान्त करने के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के संबंध में है।

48. जहां तक अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 504 व 506 भा0दं0सं0 का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रदर्श–क–1 में यह तथ्य आया है कि वह व उसका लड़का हरिहर दिनांक 26.08.2007 को समय करीब 12 बजे दिन अपने आबादी की जमीन में घास काट रहे थे, मुकदमें की रंजिश में आकर मुख्तार, रसूदी, गुड्डू, जमीन लाठी डण्डा व हसिया से लैस होकर एक राय होकर उसके लड़के धीरज को मारने लगे। छुड़ाने हेतु वह भी आई तो उसे भी पकड़कर उपरोक्त लोग मारने लगे, जिसमें धीरज को रसूदी ने हसिया से उसके गले में मारा, तो उसे काफी खून निकलने लगा तथा वह लहूलुहान हो गया, बाकी लाठी डण्डा से मारे, जिससे काफी चोटें आयीं। वादिनी मुकदमा को मुख्तार ने दांत से काट लिया तथा गुडडू ने उसकी अंगुली पकड़कर मरोड दिया तथा लाठी डण्डा से मारे पीटे, जिससे उसको व उसके लड़के धीरज को काफी चोटें आयी हैं। शोर सुनकर पास से गुजर रहे जगपत व हरिहर ने बीच बचाव किया, तब जाकर उसकी व उसके लड़के की जान बची। मुख्तार आदि मार–पीट कर जाते समय धमकी दिये कि इस धोबी साले को जान से मारकर खत्म करके यहां से भगा देना है।

49. इस सन्दर्भ में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना के समय उसकी माँ चरी के खेत में घास काट रही थी। जहाँ उसकी माँ घास काट रही थी। एक सड़क चमराही की ओर जाती है। वहीं रशीदुन मुल्जिम की मडही है। उसी मडही के दक्षिण सड़क के बगल में झगड़ा हुआ था। वहीं उसको मारा था। मुख्तार, रशीदुन, जो मुख्तार की पत्नी है, गुड्डू व जमील मारे थे। उसे रशीदुन ने हसिया से मारा था। जो गले के पास लगी थी और लोग लाठी–डंडे से मारे थे। मुल्जिमान ने उसकी माँ को भी लाठी–डंडे से मारा था। साक्षी ने यह भी कहा है कि इन लोगों ने कहा कि धोबी को मारकर यहाँ से भगा देंगे।

50. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–2 निर्मला, वादिनी मुकदमा के मुख्य साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है, जबकि दौरान प्रतिपरीक्षा साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि मुल्जिमान यह धमकी दिये थे कि जान से मार डालेंगे।

51. धारा 504 भा0दं0सं0 का अपराध गठित होने के लिये अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करना व तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभावित जानते हुये प्रकोपित करना आवश्यक है कि ऐसे प्रकोपन से वह व्यक्ति लोकशांति भंग अथवा कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

52. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा मात्र यह कथन किया गया है कि मुल्जिमान ने कहा कि धोबी को मारकर यहाँ से भगा देंगे। जबकि बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसको भद्दी–भद्दी गालियां देकर प्रकोपित किया गया हो। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 के सम्पूर्ण साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज दिये जाने के सम्बन्ध में कोई तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके लड़के को प्रकोपित करने के आशय से गालियां दी गयी हों। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्तगण द्वारा साशय वादिनी मुकदमा व उसके लड़के को अपमानित किया गया और तद्द्वारा उसे इस आशय से यह संभावित जानते हुये प्रकोपित किया गया कि ऐसे प्रकोपन से वे लोकशांति भंग अथवा कोई अन्य अपराध कारित करेंगे।

53. इस सन्दर्भ में विधि निर्णय **CRIMINAL APPEAL No.- 1031 of 2000 Ram Lakhan & Another Vs. State of U.P.**, निर्णय दिनांकित 04.04.2017 सुसंगत है, जिस मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि Section 504 IPC comprises of the following ingredients, viz., (a) intentional insult, (b) the insult must be such as to give provocation to the person insulted, and (c) the accused must intend or know that such provocation would cause another to break the public peace or to commit any other offence. The intentional insult must be of such a degree that should provoke a person to break the public peace or to commit any other offence. The person who intentionally insults intending or knowing it to be likely that it will give provocation to any other person and such provocation will cause to break the public peace or to commit any other offence, in such a situation, the ingredients of Section 504 are satisfied. One of the essential elements constituting the offence is that there should have been an act or conduct amounting to intentional insult and the mere fact that the accused abused the complainant, as such, is not sufficient by itself to warrant a conviction under Section 504 I.P.C.

54. विधि निर्णय **Fiona Shrikhande Vs. State of Maharashtra and Anr. (2013) 14 SCC 44** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है।

55. इसी प्रकार अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 506 भा0दं0सं0 के लिये यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया गया है। आपराधिक अभित्रास की परिभाषा भा0दं0सं0 की धारा 503 में दी गयी है, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाये या उसे ऐसे धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाये, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोक कराया जाये, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है। इस प्रकार आपराधिक अभित्रास की परिभाषा के अन्तर्गत धमकी इस आशय से दी

जानी चाहिये कि वह पीड़ित को कोई कार्य करने, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो या किसी ऐसे कार्य को न करने, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो, की चेतावनी दे। चेतावनी के आशय के बिना केवल धमकी दिया जाना आपराधिक अभित्रास के गठन के लिये पर्याप्त नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्लू–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि इन लोगों ने कहा कि धोबी को मारकर यहाँ से भगा देंगे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सं0 2 वादिनी मुकदमा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मुल्जिमान धमकी दिये कि जान से मार डालेंगे। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्षीगण द्वारा इस आशय का कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा दी जाने वाली धमकी से वादिनी मुकदमा एवं उसके लड़के को कोई संत्रास कारित हुआ। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया जाना नहीं पाया जाता है।

56. इस सन्दर्भ में विधि निर्णय **Manik Taneja and another vs. State of Karnataka and another 2015 AIR SCW 948** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि It is the intention of the accused that has to be considered in deciding as to whether what he has stated comes within the meaning of criminal intimidation. The threat must be with intention to cause alarm to the complainant to cause that person to do or omit to do any work. Mere expression of any words without any intention to cause alarm would not be sufficient to bring in the application of this section.

57. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना एवं माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 504 व 506 भा0दं0सं0 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं0 (iii) निस्तारित किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु सं0</u> (iv) **<u>का निस्तारण–</u>**

58. यह अवधार्य बिन्दु अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, का अपमान करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर साशय अपमानित किये जाने के संबंध में है।

59. इस सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा द्वारा अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि वह जाति की धोबी है, उसके परिवार से मुख्तार, रसूदी, गुड्डू व जमील का जमीन सम्बन्धी विवाद चल रहा है, जो सी0के0ओ0 के यहां लम्बित है, जाति के नट हैं। वह व उसका लड़का हरिहर दिनांक 26.08.2007 को समय करीब 12 बजे दिन अपने आबादी की जमीन में घास काट रहे थे, मुकदमें की रंजिश में आकर मुख्तार, रसूदी, गुड्डू, जमीन लाठी डण्डा व हसिया से लैस होकर एक राय होकर उसके लड़के धीरज को मारने लगे। मुख्तार आदि मार–पीट कर जाते समय धमकी दिये कि इस धोबी साले को जान से मारकर खत्म करके यहां से भगा देना है।

60. इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह जाति का धोबी है, जो अनुसूचित जाति का है। मुल्जिमान नट मुसलमान है जो अनुसूचित जाति के नहीं हैं। इन लोगों ने कहा कि धोबी को मारकर यहाँ से

भगा देंगे। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 की सम्पूर्ण परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा उसको जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का कोई तथ्य नहीं आया है, तथा साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह जाति की धोबी है। ये लोग हरिजन नहीं हैं, जो कि नट है। उनसे उसका जमीन का विवाद चल रहा है।

61. विधि निर्णय **हितेश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड और अन्य, (2020) 10 एस0सी0सी0 710** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि इस धारा के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता कि पीड़ित/सूचनादाता अनुसूचित जाति का सदस्य है, जब तक कि अभियुक्त का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का इस कारण से कोई इरादा नहीं है कि पीड़ित ऐसी जाति का है।

62. माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Pappu Singh Vs State of U.P. [2002(1)JIC 1218(All)]** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

"Chamariya- Use of word- Mere addressing the complainant with the said word. No offence made out simply addressing a person by his caste without any intention to insult or intimidate him."

63. अभियोजन कथनानुसार यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि वादिनी मुकदमा एवं मुल्जिमानों के मध्य जमीन सम्बन्धी विवाद की रंजिश को लेकर कथित घटना हुई है। पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य से हालांकि अभियुक्तगण द्वारा किसी न किसी प्रकार से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना दर्शित हेाता है, परन्तु इस साक्षी के साक्ष्य से कत्तई यह प्रकट नहीं होता है कि वादिनी मुकदमा के अनुसूचित जाति का सदस्य होने मात्र के आधार पर उसके विरूद्ध घटना कारित की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी सं0 2 के सम्पूर्ण साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किये जाने का कोई तथ्य नही आया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा स्वयं अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि जमीन के विवाद की रंजिश के कारण अभियुक्तगण द्वारा यह घटना कारित की गयी है। घटना के केन्द्र में जमीनी विवाद है, और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि पीड़िता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं होती, तो उसके साथ घटना कारित नहीं की जाती।

64. ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम स्थापित नहीं होता है।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं0 (iv) निस्तारित किया जाता है।

65. उपरोक्त विवेचन के पश्चात् न्यायालय के मत में अभियुक्तगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 325/34 भा0दं0सं0 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। तदनुसार अभियुक्तगण आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 325/34 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

66. अभियुक्तगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। तदनुसार अभियुक्तगण आरोप अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विशेष सत्र परीक्षण सं0 31/2009, मु0अ0सं0 सी–746/2007, थाना गौराबादशाहपुर, जिला जौनपुर के मामले में अभियुक्तगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323/34, 325/34 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें व व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं व प्रतिभूजन को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। सजा के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली बाद लंच पेश हो।

<u>दिनांक–11.03.2026</u>

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।

बाद लंच–

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। दोषसिद्धगण मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील न्यायिक अभिरक्षा में अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय समक्ष उपस्थित हैं। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

इस स्तर पर दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि अभियुक्तगण को मात्र धारा 323/34, 325/34 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। उनके द्वारा कारित यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण को पूर्व में किसी मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। प्रकरण अति प्राचीन है और अभियुक्तगण विगत कई वर्षों से मामले के विचारण हेतु न्यायालय में उपस्थित आते रहे हैं। अतः उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4 का लाभ प्रदान करते हुए परिवीक्षा पर छोड़ा जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्तगण को धारा 323/34, 325/34 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्तगण को संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार सजा दिए जाने पर बल दिया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपराध की प्रकृति, मामले की प्राचीनता तथा दोषसिद्धगण की ओर से किये गये कथनों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्धगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4 का लाभ देते हुए परिवीक्षा पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दोषसिद्धगण **मुख्तार, रसूदी उर्फ रसीदुन, गुड्डू एवं जमील** को एक वर्ष की अवधि के लिये सदाचार कायम रखने हेतु निम्न शर्तों पर परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है –

1. दोषसिद्धगण प्रत्येक मु0 20,000/–रूपये का निजी बन्धपत्र व समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी, जौनपुर के समक्ष निर्णय की तिथि से 07 दिन के अन्दर निष्पादित करें।
2. बन्धपत्र निष्पादित न करने अथवा बन्धपत्र निष्पादित किये जाने के एक वर्ष के अन्दर दोषसिद्धगण द्वारा कोई अपराध कारित किये जाने पर इस न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह दोषसिद्धगण को तलब कर उन्हें दण्डादेश के बिन्दु पर सुनकर उसके विरुद्ध यथोचित आदेश पारित करे और दण्डादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।
3. दोषसिद्धगण परिवीक्षा अधिकारी या न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर इस दौरान उनके समक्ष उपस्थित आते रहेंगे।

निर्णय की एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी, जौनपुर को प्रेषित की जाये।

निर्णय की एक निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान की जाये।

दिनांक–11.03.2026

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–11.03.2026

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509